

**ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० / समयमान वेतनमान**

विषय सूची			
क्र०सं०	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	समयमान वेतनमान / ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण।	सं 65 / XXVII / (7)18-50(09) / 2018 दिनांक : 09 मार्च, 2019	101-104
2	वित्तीय स्तरोनयन के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	सं० 104 / XXVII(7)40 / 2018 दिनांक : 28 अगस्त, 2018	105-106
3	ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए०सी०पी० के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	सं० 136 / XXVII(7)40 / 2018 दिनांक : 04 मई, 2018	107
4	ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए०सी०पी० के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	सं० 132 / XXVII(7)40 / 2018 दिनांक : 04 मई, 2018	108-109
5	राज्य कर्मचारियों को ए०सी०पी०, वेतन निर्धारण एवं वाहन भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	सं० 161 / XXVII(7)30(IX) / 2011 दिनांक : 28 नवम्बर, 2017	110-112
6	राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	सं० 11 / XXVII(7)40(14) / 2017 दिनांक : 17 फरवरी, 2017	113-120
7	राज्य के कोषागार संवर्ग के सम्बन्ध में दिनांक : 31 अगस्त, 2008 तक प्रभावी समयमान वेतनमान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	सं० 250 / XXVII(7)50(31) / 2016 दिनांक : 30 दिसम्बर, 2016	121
8	रु० 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए एस्पोर्ट्स कैरियर प्रोगेशन (ए०सी०पी०) विषयक शासनादेश संख्या : 212 / XXVII(7)27	सं० 257 / XXVII(7)27(20) / 2013 दिनांक : 13 नवम्बर, 2014	122-123

	(20)/2013 दिनांक : 22 अगस्त, 2014 में संशोधन।		
9	रु0 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए एस्योर्ड कैरियर प्रोगेशन (ए0सी0पी0) में संशोधन।	सं0 212 / XXVII(7)27(20) / 2013 दिनांक : 22 अगस्त, 2014	124-125
10	पुनरीक्षित वेतन-संरचना में रु0 4800 या उससे कम ग्रेड वेतन पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये ए0सी0पी0 की पूर्व व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01. 11.2013 से वैयक्तिक रूप में प्रोन्नतीय वेतनमान अथवा अगले वेतनमान (यथास्थिति) की संशोधित व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 26 / XXVII(7)40(ix) / 2011 टी. सी. दिनांक : 25 फरवरी, 2014	126-127
11	रु0 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए एस्योर्ड कैरियर प्रोगेशन (ए0सी0पी0) में संशोधन।	सं0 770 / XXVII(7)40(ix) / 2011 दिनांक : 06 नवम्बर, 2013	128-129
12	राज्य कर्मचारियों के लिये एस्योर्ड कैरियर प्रोगेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।	सं0 589 / XXVII(7)40(ix) / 2011 दिनांक : 01 जुलाई, 2013	130-136
13	राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक।	सं0 347 / XXVII(7)40(9) / 2012 दिनांक : 18 जनवरी, 2013	134

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. सम्स्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
2. सम्स्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7

देहरादून : दिनांक ०७ मार्च, 2019

विषय:- समयमान वेतनमान/ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० अथवा एम०ए०सी०पी० के प्रकरणों में समय-समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत समयमान वेतनमान/ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है, जिसके सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट की जा रही है:-

क्र.सं.	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1	नियमित सेवा के साथ ही साथ निरन्तर की गयी तदर्थ सेवाओं को वित्तीय स्तरान्णयन की गणना में लिया जायेगा अथवा नहीं ?	<p>शासनादेश संख्या-10/XXVII(7)/40 (IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल, 2011 के बिन्दु संख्या-3 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-4 में अंकित स्पष्टीकरण निम्नवत् है:-</p> <p>"यदि सम्बन्धित कार्मिक दिनांक 01 सितम्बर, 2008 को धारित पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त लाभ के कारण वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत है तो पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता हेतु जिन निरन्तर संतोषजनक सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, ए०सी०पी० की व्यवस्था में आगे वित्तीय स्तरान्णयन के लाभ की अनुमन्यता हेतु ऐसी सेवाओं को गणना में लिया जायेगा।"</p> <p>समयमान वेतनमान की व्यवस्था से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-210/ दस-83-स० क०(सा०)-82 दिनांक 04 फरवरी, 1983 में निम्न प्राविधान उपबन्धित है:-</p> <p>"नियमित सेवा से तात्पर्य ऐसी सेवा से है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमों/शर्तों के अनुसार किये गये चयन के फलस्वरूप नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा की गयी हो। अल्प अवधि के लिये अवकाश अवधि के लिए अथवा तदर्थ रूप से नियुक्ति पर किसी कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा को "नियमित सेवा" नहीं</p>

माना जायेगा और "नियमित सेवा" की अवधि का आगमन उस तिथि/वर्ष से किया जायेगा, जिसके आधार पर किसी कर्मचारी की अपने संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारित की गयी हो।

उक्त से स्पष्ट है कि समयमान वेतनमान / ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० के अंतर्गत लाभ की अनुमन्यता हेतु निर्धारित सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कार्मिक के नियमित नियुक्ति की तिथि से ही की जाए। इसमें सविदा, दैनिक वेतनभोगी, नियत वेतन, कार्यप्रभारित, सीजनल, तदर्थ आधार पर की गई सेवाओं को गणना में नहीं लिया जाएगा। किसी स्थाई/अस्थायी सृजित पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात यदि किसी कार्मिक को स्थानापन्न, तदर्थ, प्रभारी व्यवस्था के रूप में उच्चतर पद अथवा समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी दशा में उक्त अवधि की सेवायें गणना में ली जायेगी। अर्थात् दो नियमित नियुक्तियों के मध्य में तदर्थ, प्रभारी अथवा स्थानापन्न रूप से की गयी निरन्तर सेवायें समयमान वेतनमान / ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० हेतु गणना में ली जायेगी।

2. शासनादेश संख्या-589, दिनांक 01 जुलाई, 2013 के प्रस्तर 2 (1)(घ) में अंकित है कि "पूर्व स्थिति के आधार पर ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (re-open) नहीं किया जाएगा।" क्या इसका आशय यह है कि ए०सी०पी० सम्बन्धी जो प्रकरण पूर्व में स्वीकृत किए जा चुके हों उन्हें "ए०सी०पी० सम्बन्धी वर्तमान में निर्गत स्पष्टीकरणों के परिप्रेक्ष्य में संशोधित कर समायोजन की कार्यवाही नहीं की जाएगी?"

शासनादेश संख्या- 589, दिनांक 01 जुलाई, 2013 के प्रस्तर-2(1)(घ) एवं प्रस्तर-2(5)(क) में निम्न व्यवस्था उपबन्धित है-

प्रस्तर-2(1)(घ)

"उपयुक्त शासनादेश संख्या- 313/xxvii(7)40 (ix)/2011, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर- 2 (5) एवं संख्या-314/xxvii(7)(40) (ix)/2011, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर-2 (क) में ए०सी०पी० की व्यवस्था के प्रसंग में सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत "धारित पद" का आशय स्पष्ट किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यदि किसी कार्मिक के संबंध में यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उक्त तिथि 30 अक्टूबर, 2012 तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के क्रम में पूर्व स्थिति के आधार पर ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (re-open) नहीं किया जाएगा।

प्रस्तर-2(5)(क)

"शासनादेश संख्या-314 दिनांक 30.10.2012 के निर्गत होने तक शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 में निहित पूर्व की किसी व्यवस्था से आच्छादित किसी प्रकरण में ए०सी०पी० का लाभ दिनांक 01.09.2008 के पूर्व की तिथि से स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (Re-open) नहीं किया जायेगा।"

	<p>स्पष्ट है कि पुनरोद्घाटित न किए जाने की स्थिति मात्र उपरोक्त परिधि, जोकि सामान्यतः सीधी भर्ती से ग्रेड वेतन ₹0 5400/- (वेतन बैंड 3) अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन में नियुक्त पदधारकों के सन्दर्भ में ही आएगी किन्तु ऐसे प्रकरणों का परीक्षण भी उपरोक्त शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 2013 के प्रस्तर-2(5)(क) में दी गई व्यवस्थानुरूप एवं इस स्पष्टीकरण के क्रमांक- 1 व 2 में दी गई व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में अवश्यमेव कर लिया जाए और जहां कहीं इंगित प्रावधानों के विपरीत स्वीकृति/वेतन निर्धारण किया गया है वहां अधिक भुगतानित धनराशि का समायोजन किया जाए।</p> <p>यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि पूर्व/वर्तमान में निर्गत किए गए/निर्गत किए जा रहे एम0ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 सम्बन्धी स्पष्टीकरणों/प्रावधानों में दी गई व्यवस्था से इतर कोई स्वीकृति निर्गत की गई है तो ऐसे सभी प्रकरणों की पुनः जांच कर ली जाए और जहां कहीं त्रुटिपूर्ण स्वीकृति की स्थिति सामने आती है, वहां अधिक हुए वेतन-भत्तों के भुगतान के समायोजन की कार्यवाही की जाए।</p>
<p>3. शासनादेश संख्या- 11, दिनांक 17 फरवरी, 2017 में एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता हेतु विगत 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां उत्तम/अतिउत्तम श्रेणी के होने संबंधी प्रावधान रखा गया है. यदि किसी कार्मिक की 09 वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अतिउत्तम श्रेणी की हो और 01 वर्ष की उत्तम श्रेणी की, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता कब से होगी?</p>	<p>शासनादेश संख्या- 11, दिनांक 17 फरवरी, 2017 के संलग्नक-1 के प्रस्तर 17 में "वित्तीय अपग्रेडेशन उपयुक्तता के सन्दर्भ में व्यवस्था निम्नवत् है:-</p> <p>"उपर्युक्त अपग्रेडेशन उपयुक्तता के आधार पर अनुमन्य होगा। वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 से स्तर-5 तक के पद सोफान के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां "उत्तम" और इसके पश्चात के स्तरों के लिए 'अति उत्तम' के आधार पर वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता के समय पिछले 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां देखी जायेंगी।"</p> <p>उक्त व्यवस्था के आलोक में स्पष्ट किया जाना है कि वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता हेतु 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा में यदि किसी वर्ष की वार्षिक प्रविष्टि मानक से न्यून हो तो उस वर्ष को अर्हता हेतु गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।</p> <p>इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाना है कि एम0ए0सी0पी0 लागू होने की तिथि से ही यह व्यवस्था लागू होगी।</p>
<p>4. क्या संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन, आउटसोर्स के रूप में नियुक्त कार्मिक को वार्षिक वेतनवृद्धि देय है।</p>	<p>नियमित सेवा को प्रस्तर-1 में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04.02.1983 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।</p> <p>स्पष्ट है कि संविदा, आउटसोर्स, नियत वेतन व दैनिक वेतन पर की गयी सेवाओं पर वार्षिक वेतनवृद्धि</p>

	अनुमन्य नहीं होगी।
--	--------------------

2. विनियमितीकरण आदेश जारी करने की तिथि से ही नियमित सेवा आगणित की जायेगी बशर्ते विनियमितीकरण आदेश पूर्वगामी तिथि से लागू न किया गया हो।
3. यदि किसी कार्मिक का वेतन निर्धारण उपरोक्त वर्णित शासनादेशों/स्पष्टीकरण में उपबन्धित व्यवस्था से इतर किया गया है तो उक्तानुसार वेतन/पेंशन का पुनर्निर्धारण करते हुए अधिक भुक्तान की गयी धनराशि की नियमानुसार वसूली/समायोजन आगामी माहों में देय वेतन/पेंशन से किया जाना कृपया सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,  
(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

संख्या: / (1) / XXVII(7) 18-50(09) / 2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
5. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार घेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, सेंटर फॉर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन फाइनेन्शियल एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आहरण वितरण अधिकारी, वेतन आयोग प्रकोष्ठ, वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(अरुणेंद्र सिंह चौहान)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (बि0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून : दिनांक 23 अगस्त, 2018

विषय:- वित्तीय स्तरोनयन के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि शासनादेश संख्या-1014/01 वित्त/2001 दिनांक 12 मार्च, 2001 सपठित शासनादेश सं0-वे0आ0-2-560/दस/45(एम)-99, दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 एवं शासनादेश सं0-327/XXVII(3)सं0वे0/2005 दिनांक 23 अगस्त, 2005, शासनादेश संख्या-770/XXVII(7)40(ix)/2011 दिनांक 06 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या-161/XXVII(7)40(ix)/2011 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 में वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों से इतर प्रोन्नत वेतनमान के रूप में अनुमन्यता से उच्च वेतनमान/ग्रेड वेतन का लाभ वित्तीय स्तरोनयन के रूप में दिया जा रहा है।

3- उक्त शासनादेशों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-770/XXVII(7)40(ix)/2011 दिनांक 06 नवम्बर, 2013 के अनुसार वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के प्रकरणों में पूर्व में वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान की व्यवस्था के सम्बन्ध में जारी उक्त वर्णित शासनादेशों दिनांक 12 मार्च, 2001, दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 एवं दिनांक 23 अगस्त, 2005 तथा 28 नवम्बर, 2017 का कृपया पूर्ण पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4- कृपया उक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। यदि किसी कार्मिक का वेतन निर्धारण उक्त वर्णित शासनादेश में उपबन्धित व्यवस्था से इतर किया गया है तो उक्तानुसार वेतन/पेंशन का पुनर्निर्धारण करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि की नियमानुसार वसूली/समायोजन अगामी माहों में देय वेतन/पेंशन से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

संख्या- 104 (1)XXVII(7)40/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, विभागीय लेखा/आडिट, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

अज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

107

संख्या: 136 /XXVII(7)40/2018

प्रेषक:

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक: 04/मई, 2018

विषय:- ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए0सी0पी0 के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-132/XXVII(7)40/2018 दिनांक 04 मई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए0सी0पी0 के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

2. वित्तीय नियमों एवं उक्त वर्णित शासनादेश में उपबन्धित व्यवस्था से इतर यदि किसी प्रकरण में अधिक भुगतान की स्थिति दृष्टिगोचर होती है तो कृपया नियमानुसार वेतन/पेंशन पुनर्निर्धारित करते हुये वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के भाग-1 के प्रस्तर-81 (3) की व्यवस्थानुसार सम्बन्धित सरकारी सेवक के वेतन/पेंशन से वसूली/समायोजन की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

संख्या- (1)/XXVII(7)40/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. सदस्य सचिव, जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/बरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

108

संख्या: 132/XXVII(7)40/2013

प्रेषक:

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक: 04 मई, 2018

विषय:- ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए०सी०पी० के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-770/XXVII(7)40(ix)/2011 दिनांक 06 नवम्बर, 2013 में उपबन्धित है कि रुपये 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पदों वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये जहाँ पदोन्नति का पद उपलब्ध है, वहाँ पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैंड वैयक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में तथा जहाँ पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है, वहाँ शासनादेश संख्या-395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक-1 में उपलब्ध तालिका के अनुसार अगला ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैंड वैयक्तिक रूप से अगले वेतनमान के रूप में दिनांक 01 नवम्बर, 2013 से संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य किया जायेगा।

2-- शासन के संज्ञान में यह आया है कि शासनादेश संख्या-161/XXVII(7)40(ix)/2011 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण के बाद भी कतिपय विभागों द्वारा उक्त शासनादेश की गलत व्याख्या कर प्रोन्नत वेतनमान के रूप में अनुमन्यता से उच्च वेतनमान/ग्रेड पे का लाभ ए०सी०पी० के अन्तर्गत दिया जा रहा है। विभिन्न विभागों से प्राप्त सन्दर्भों एवं पृच्छाओं के कम में ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए०सी०पी० के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नत वेतनमान के सम्बन्ध में निम्नवत् स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

- (1) ऐसे कार्मिकों के लिए पदोन्नत वेतनमान का तात्पर्य केवल उनके संवर्गीय ढाँचे एवं उनकी संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पदोन्नति के पदों के वेतनमान से है। जहाँ संवर्गीय ढाँचे में पदोन्नति के पद उपलब्ध नहीं हैं वहाँ धारित वेतनमान से अगला वेतनमान ए०सी०पी० के रूप में देय होगा।
- (2) ए.सी.पी. की व्यवस्था विषयक शासनादेश दिनांक 06.11.2013 के अन्तर्गत अपेक्षित पदोन्नति के पद के रूप में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के पद शामिल नहीं हैं क्योंकि समयमान वेतनमान, ए.सी.पी. एवं एम.ए.सी. पी. सम्बन्धी व्यवस्था मात्र राज्य सेवा संवर्ग में नियुक्त कार्मिकों के लिए लागू किया गया है।
- (3) जहाँ राज्याधीन सेवाओं से अखिल भारतीय सेवाओं में इन्ड्रेशन की व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य सेवा संवर्ग से अखिल भारतीय सेवा संवर्ग में पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां होती हैं वहाँ अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के पद को राज्य सेवा संवर्ग के कार्मिकों के लिए ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय वेतनमान हेतु पदोन्नति का पद नहीं समझा जायेगा क्योंकि अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के पदों की सेवा शर्तें राज्य सरकार के नियमों से नहीं अपितु भारत सरकार के नियमों से विनियमित होती हैं जबकि ए०सी०पी० की व्यवस्था राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त है। ऐसी स्थिति में किसी राज्य सेवा संवर्ग के कार्मिक को उक्त शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2013 के अधीन अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के पदों का वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा अपितु उन्हें वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में तत्समय धारित वेतनमान का अगला वेतनमान अनुमन्य होगा।

109

3- कृपया उक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। यदि किसी कार्मिक को उक्त व्यवस्था से इतर अधिक भुगतान किया गया हो तो उसकी वसूली/समायोजन अगामी माहों में देय वेतन से किया जाना सुनिश्चित किया जाय। भविष्य में अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वीकर्ता अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा ऐसे अधिक भुगतान की वसूली उनके वेतन/पेंशन से की जायेगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

संख्या (1)/XXVII(7)40/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. सदस्य सचिव, जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/बरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

110

संख्या: — /XXVII(7)40(LX)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7

देहरादून, दिनांक: २४ नवम्बर, 2017

**विषय: राज्य कर्मचारियों को ए0सी0पी0, वेतन निर्धारण एवं वाहन भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-65/XXVII(7)/40(LX)/2011 दिनांक 04 अगस्त, 2011 का कृपया संलग्नक सहित सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश द्वारा राज्य के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को संशोधित ग्रेड पे के अनुसार ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य किए जाने की व्यवस्था की गई थी, अर्थात् किसी पद पर मौलिक रूप से कार्यरत पदधारक तथा ए0सी0पी0 के आधार पर कार्यरत पदधारक दोनों को शासनादेश सं0-07/XXVII(7)/27(V)/2011 दिनांक 06.04.2011 के साथ वेतन बैंड-1 में रू0 5200-20200 ग्रेड पे रू0 1800 का लाभ दिनांक 01.01.2006 से काल्पनिक रूप से तथा दिनांक 24 मार्च, 2011 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किया गया है एवं शासनादेश सं0-216 दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2008 से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में क्रमशः रू0 1400, रू0 1800 एवं रू0 2000 ग्रेड पे प्राप्त करने वाले समूह-घ के कार्मिकों को, के स्थान पर क्रमशः रू0 1900, रू0 2000 एवं रू0 2400 के अनुसार काल्पनिक रूप से अनुमन्य किया गया है और इसी शासनादेश के अनुसार मौलिक रूप से प्राप्त कर रहे वेतन तथा ए0सी0पी0 के रूप में प्राप्त हो रहे लाभ को दिनांक 24 मार्च, 2011 से नकद किए जाने की व्यवस्था उपबन्धित की गई है। शासनादेश सं0-589/XXVII(7)/40(LX)/2011 दिनांक 01.07.2013 के प्रस्तर-2(3) के अनुसार ए0सी0पी0 की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन रू0 2000 को इग्नोर किया जायेगा। जिसके फलस्वरूप वित्तीय स्तरोंनयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रू0 1900 का अगला ग्रेड वेतन रू0 2400 माना जायेगा।

2. शासनादेश सं0-1014/01 वित्त/2001 दिनांक 12 मार्च, 2001 सपठित शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 में वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिए प्रोन्नति के पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित पदधारक द्वारा धारित पद से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति का प्राविधान हो। यदि किसी पद हेतु वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु दो या अधिक वेतनमानों में पद उपलब्ध हो तो समयमान वेतनमान के अंतर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में पदोन्नति हेतु उपलब्ध निम्नतम पद का वेतनमान ही अनुमन्य होगा।

3. शासनादेश सं0-327/XXVII(3)/सं0वे0/2005 दिनांक 23 अगस्त, 2005 में समयमान वेतनमान व्यवस्था के अंतर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिए प्रोन्नतीय पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवानियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी की प्रोन्नति

वरिष्ठता-कम-उपयुक्तता के आधार पर की जाती हो, परन्तु जिन पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था वरिष्ठता-कम-उपयुक्तता के साथ-साथ योग्यता/उच्च अर्हता/मेरिट के आधार पर हो, वे पद समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु पदोन्नतीय पद नहीं माने जायेंगे। ऐसे मामलों में अन्य शर्तों की पूर्ति की दशा में अगला उच्चतर वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स में अगला उच्च स्तर जैसा कि उपरोक्त प्रस्तर- 2 एवं 3 में स्पष्ट किया गया है, देय होगा।

4. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं०-589/XXVII(7)/40(LX)/2011 दिनांक 01.07.2013, सं०-770/XXVII(7)/40(LX)2011 दिनांक 06.11.2013, एवं सं०-26/XXVII(7)/40(LX)/2011TC दिनांक 25.02.2014 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए समूह-घ के कार्मिकों को ए०सी०पी० के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोंनयन पर ग्रेड वेतन क्रमशः ₹० 2000, ₹० 2800 एवं ₹० 4200 अनुमन्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि समूह-घ के कार्मिकों को ए०सी०पी० के अंतर्गत शासनादेश सं०-216 दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 एवं सं०-589 दिनांक 01 जुलाई, 2013 के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में ग्रेड वेतन ₹० 1900, ₹० 2400 एवं 2800 ही अनुमन्य है।

5. कतिपय विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा शासनादेश सं०-136 दिनांक 07 सितम्बर, 2016 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए अपने कार्मिकों को पदोन्नति/समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोंनयन पर भी फिटमेंट तालिका (शासनादेश सं०-395 दिनांक 17.10.2008 एवं सं०-41 दिनांक 13.02.2009 की तालिकाएँ) का लाभ अनुमन्य किया जा रहा है। यहां यह स्पष्ट करना है कि किसी भी कार्मिक को फिटमेंट तालिका का लाभ पांचवे वेतन आयोग के वेतनमानों से छठवें आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों में वेतन पुनरीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि फिटमेंट तालिका का लाभ केवल एक बार ही वेतन पुनरीक्षण में अनुमन्य है। किसी कार्मिक की पदोन्नति/वित्तीय स्तरोंनयन (ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०) की अनुमन्यता के प्रकरणों में वेतन निर्धारण के लिए तत्समय प्रवृत्त सामान्य वित्तीय नियम लागू होंगे।

6. शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा शासनादेश सं०-732 दिनांक 25 सितम्बर, 2013 की व्यवस्था का लाभ समस्त अपुनरीक्षित वेतनमान ₹० 5500-9000 के कार्मिकों को भी अनुमन्य किया जा रहा है। स्पष्ट किया जाना है कि कुछ विभागों में दिनांक 01.01.2006 के पूर्व लागू अपुनरीक्षित वेतनमान ₹० 5500-9000 को दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् अपुनरीक्षित वेतनमान ₹० 7450-11000 में उच्चीकृत/संशोधित किया गया। शासनादेश सं०-395 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 में उक्त वेतनमान की फिटमेंट तालिका दिनांक 01.01.2006 अथवा उसके उपरान्त उच्चीकरण/पुनरीक्षण वेतनमान के लिए उपलब्ध न होने के कारण उक्त शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर, 2013 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान ₹० 5500-9000 सादृश्य पी०बी०-2 ₹० 9300-34800 ग्रेड वेतन ₹० 4600 की फिटमेंट तालिका निर्गत की गई है। अतः स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर, 2013 का लाभ उन पदधारकों को अनुमन्य नहीं होगा जिनके अपुनरीक्षित वेतनमान ₹० 5500-9000 को ₹० 7450-11000 में उच्चीकृत नहीं किया गया है।

7. शासनादेश सं०-700/XXVII(7)/30(5)/2013 दिनांक 16 सितम्बर, 2013 सपठित शासनादेश सं०-745/XXVII(7)27(20)2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 द्वारा वाहन भत्ते की दरें पुनरीक्षित की गई हैं। शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त शासनादेशों के अनुसार पुनरीक्षित वाहन भत्ता उन कार्मिकों को भी अनुमन्य किया जा रहा है जिनका उल्लेख वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 के नियम-38(1)सपठित परिशिष्ट-12 एवं नियम-82 सपठित परिशिष्ट-8 में नहीं है। इस प्रकार यह वित्तीय अनियमितता है।

8. अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा समय-समय पर निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित उक्तानुसार व्यवस्था के विपरीत अनुमन्यता से अधिक के वेतन/वेतनमान, समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोंनयन/भत्ते स्वीकृत कर दिए गए हैं, वे अपने आदेशों का

112

परीक्षण करके देय तिथि को सही वेतनमान/भत्तों के निर्धारण के आदेश निर्गत करें। जो भी अधिक धनराशि सम्बन्धित कर्मियों को भुगतान की गई है, उस धनराशि का सम्बन्धित कर्मों के आगामी माहों में प्राप्त हो रहे वेतन से करके उसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भविष्य के लिए किसी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुमन्यता से अधिक का वेतनमान/भत्ते उक्त की भांति स्वीकृत करने से यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है और यह तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को ही इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जायेगा और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित कार्यालय के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक का भी यह दायित्व होगा कि वह इस प्रकार के प्रकरणों को शासन के संज्ञान में लायें। त्रुटिपूर्ण वेतनमान अनुमन्य होने पर उस कर्मों के गलत वेतनमान के आधार पर अधिक धनराशि के कोषागार से आहरित होने पर वह भी समान रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

9. कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
(राधा रतूड़ी)  
प्रमुख सचिव।

संख्या/61/XXVII(7)/40(IX)/2011, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7  
संख्या: 11/XXVII(7)30(14)/2017  
देहरादून: दिनांक 17 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

वेतन समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत किये गये पुनरीक्षित वेतनमानों को लागू किये जाने के साथ यह भी संस्तुति की गयी है कि भारत सरकार में प्रचलित संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना को राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पर भी लागू किया जाय।

2. राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार में प्रचलित संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना को राज्य में लागू करने विषयक वेतन समिति की संस्तुति पर विचार किया गया। विचारोपरान्त शासन द्वारा राज्य में लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर भारत सरकार में प्रचलित संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना को निम्न प्राविधानों के अधीन स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. उक्त योजना को राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना "(एम0ए0सी0पी0एस0)" के रूप में जाना जाएगा जो पूर्व में लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम (ए0सी0पी0एस0) तथा इसके अधीन जारी किये गये समस्त शासनादेशों/आदेशों व स्पष्टीकरणों को अतिक्रमित करते हुए लागू होगी।
2. यह योजना राज्य सरकार में मौलिक रूप से नियुक्त उन सभी सरकारी सेवकों के लिए लागू होगी जो पूर्व में लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था से आच्छादित है। संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना का विस्तृत विवरण और इसके अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश संलग्नक-1 के रूप में संलग्न हैं।
3. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन दिए जाने से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने हेतु प्रत्येक विभाग में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक स्कीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। स्कीनिंग कमेटी में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। स्कीनिंग कमेटी में एक सदस्य वित्त सेवा का अधिकारी नामित किया जायेगा। यदि किसी विभाग में वित्त सेवा का अधिकारी नहीं है तो नियुक्त प्राधिकारी किसी अन्य विभाग में नियुक्त वित्त सेवा के अधिकारी को नामित कर सकते हैं। समिति के अन्य सदस्य ऐसे राजपत्रित अधिकारी होंगे जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन पर विचार किए जाने वाले स्तर (Level) से कम-से-कम एक स्तर (Level) ऊपर के पद धारण किए हुए हों। स्कीनिंग कमेटी में अध्यक्ष आमतौर पर समिति के सदस्यों के वेतन स्तर (Level) से एक स्तर (Level) ऊपर का होना चाहिए। समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अखिल भारतीय सेवा/वित्त सेवा के अधिकारियों के नामांकन के सम्बन्ध में वेतन स्तर का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
4. स्कीनिंग कमेटी की सिफारिशों को सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

5. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना को लागू करने के लिए प्रत्येक विभाग इस कार्यालय ज्ञाप के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर स्कीनिंग कमेटी का गठन करेंगे जिससे कि इस योजना के अंतर्गत लाभ दिए जाने के मामलों पर विचार किया जा सके।
6. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की उपर्युक्त योजना के प्रावधानों के अर्थ और कार्य क्षेत्र के विषय में होने वाले संदेह की कोई व्याख्या/स्पष्टीकरण शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।
7. यह योजना 01 जनवरी, 2017 से लागू होगी। पूर्व में लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के प्रावधान 31 दिसम्बर, 2016 तक की देयता के प्रकरणों में लागू होंगे।
8. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वेतन निर्धारण के कारण वरिष्ठ की तुलना में अधिक वेतन आहरित कर रहे कनिष्ठ के सम्बन्ध में वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर (Level) में वेतन की कोई बढ़ोत्तरी स्वीकार्य नहीं होगी।
9. संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू करते समय उसी संवर्ग में पुरानी ए0सी0पी0 स्कीम के अंतर्गत तथा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की अदायगी के कारण विद्यमान वेतन मैट्रिक्स के स्तर (Level) में भिन्नता आ जाने पर उसका अर्थ एक विसंगति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

संख्या: 11/XXVII(7)30(14)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड एकक, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0एस0)

1. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत किसी कार्मिक को पूरे सेवाकाल में यदि पदोन्नति न हुयी हो तो अधिकतम तीन वित्तीय अपग्रेडेशन (उन्नयन) दिए जाएंगे जिनकी गणना सीधी भर्ती के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से क्रमशः 10, 20 और 30 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर की जाएगी। इस योजना के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन तब अनुज्ञेय होगा जब किसी व्यक्ति ने वेतन मैट्रिक्स में समान स्तर में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो। प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन से लेकर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के मध्य प्राप्त पदोन्नतियाँ वित्तीय अपग्रेडेशन मानी जायेंगी तदनुसार उस सीमा तक एम0ए0सी0पी0एस0 के लाभ कम प्राप्त होंगे। लेकिन एम0ए0सी0पी0एस0 के रूप में प्राप्त स्तर में ही पदोन्नति होने पर उसे अगला वित्तीय स्तरोन्नयन नहीं माना जायेगा।
2. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 (समय-समय पर यथासंशोधित) की अनुसूची-1 में दिए गए वेतन मैट्रिक्स के स्तर (Level) के क्रम में ठीक अगला उच्चतर स्तर (Level) में अनुमन्य किया जाना है। ऐसी दशा में किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला वेतन स्तर (Level) कुछ मामलों में उसकी पदोन्नति के पद के वेतन स्तर (Level) के मध्य हो सकता है ऐसे मामलों में, सम्बन्धित संवर्ग/संगठन के पदक्रम में अगले पदोन्नति पद से जुड़ा उच्चतर स्तर (Level) केवल नियमित पदोन्नति के समय पर ही दिया जाएगा।
3. इस योजना के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन के समय पर नियमित पदोन्नति के समय प्रदान किया जाने वाला वेतन निर्धारण का लाभ अनुज्ञेय होगा। ऐसे में वेतन, इस प्रकार हुए अपग्रेडेशन से पूर्व स्तर (Level) में जिस कोष्ठिका (Cell) की धनराशि वेतन के रूप में आहरित की जा रही है उस कोष्ठिका के अगली उच्चतर कोष्ठिका तक बढ़ जाएगा, जो एक वेतन वृद्धि के लाभ स्वरूप होगा। नियमित पदोन्नति, यदि वे एम0ए0सी0पी0एस0 के अंतर्गत यथा प्रदत्त समान स्तर (Level) में हुई है तो उस समय वेतन निर्धारण का और लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। तथापि, वास्तविक पदोन्नति, यदि किसी ऐसे पद पर हुई है जिसका स्तर (Level) उससे उच्चतर है, जो एम0ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत उपलब्ध हुआ है तब वेतन निर्धारण वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 22(बी) के अन्तर्गत किया जायेगा। उदाहरण के लिए कोई सरकारी कर्मचारी स्तर (Level)-1 में 18000/- रूपए के वेतन में सीधी भर्ती के रूप में सेवा में प्रवेश करता है तो उसे सेवा के 10 वर्ष पूरे करने पर उच्चतर स्तर (Level)-2 में वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किया जाएगा और उसका वेतन स्तर (Level)-1 में एक वेतन वृद्धि देकर स्तर (Level)-2 में यथा समान धनराशि वाली कोष्ठिका पर अथवा समान धनराशि न होने पर स्तर (Level)-2 में अगली उच्चतर कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा। एम0ए0सी0पी0एस0 के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त करने के बाद यदि उक्त सरकारी सेवक अपने संवर्ग में अगले पदक्रम पर यथानियम पदोन्नति प्राप्त कर लेता है जो कि स्तर

(Level)-4 है, तो नियमित पदोन्नति पर उसका वेतन वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-22 (बी) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा जिसे एम0ए0सी0पी0एस0 के अधीन अगला वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा।

4. ऐसे सरकारी सेवकों के मामले में, जिन्हें पूर्व में ए0सी0पी0 की योजना के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2016 तक वित्तीय अपग्रेडेशन की देयता हो, तो ऐसे प्रकरणों पर पूर्व में लागू ए0सी0पी0 के प्राविधानों के तहत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

5. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन देते समय अपना वेतन नियत करवाने के सम्बन्ध में किसी सरकारी सेवक को मूल नियम-22 (1) (क) (1) के अंतर्गत उसकी अपग्रेडेशन की तारीख से अथवा उसकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख अर्थात् उस वर्ष की 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई से उच्चतर पद/स्तर में वेतन निर्धारण करवाने का विकल्प होगा।

6. भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति पद के सोपानों में प्राप्त की गई पदोन्नतियों की गणना संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत की जाएगी।

7. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कियान्वयन के परिणामस्वरूप पूर्व में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 5400/- को अब संशोधित वेतन संरचना में दो स्तर अर्थात् स्तर-9 और स्तर-10 में पुनरीक्षित/निर्धारित किया गया है। वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में कार्यरत समस्त सरकारी सेवकों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन दिए जाने के लिए स्तर-8 के बाद स्तर-10 अनुमन्य होगा लेकिन समयमान वेतनमान (चयन/प्रोन्नत वेतनमान) प्राप्त शिक्षकों को चयन/प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने की स्थिति में वेतन स्तर-8 के बाद वेतन स्तर-9 अनुमन्य होगा।

8. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना हेतु नियमित सेवा का आशय सीधी भर्ती के पद पर नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा संविलियन/पुनर्नियोजन के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि होगी।

9. नियमित नियुक्ति से पूर्व दैनिक वेतन/तदर्थ/संविदा/नियत वेतन/कार्यप्रभारित के रूप में की गई सेवा की गणना एम0ए0सी0पी0एस0 हेतु नहीं की जाएगी।

10. किसी नए विभाग में नियमित नियुक्ति से पूर्व उसी स्तर वाले पद पर दूसरे सरकारी विभाग में की गई पिछली नियमित व निरन्तर सेवा को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के लाभ हेतु गणना में नहीं लिया जायेगा परन्तु यदि कोई सरकारी सेवक अपने संगठन में सरप्लस घोषित कर दिया जाता है और किसी नए संगठन में उसी वेतनमान अथवा उससे निम्न वेतनमान में नियुक्त किया जाता है तो उसके द्वारा पूर्व संगठन में की गई नियमित सेवा की गणना, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु नए संगठन की नियमित सेवा में की जाएगी।

- 11. किसी सरकारी सेवक द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व केन्द्र/किसी अन्य राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/स्वायत्तशासी संस्था/परिषद/सार्वजनिक निगम/उपक्रम में की गई पिछली सेवा की गणना एम0ए0सी0पी0एस0 के लाभ हेतु नहीं की जाएगी।
- 12. नियमित सरकारी सेवक द्वारा प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर बिताई गई अवधि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत अध्ययन अवकाश एवं अन्य सभी प्रकार के अवकाश (असाधारण/अवैतनिक अवकाशों को छोड़कर) की गणना एम0ए0सी0पी0एस0 के लाभ हेतु तत्समय की जायेगी।
- 13. एम0ए0सी0पी0एस0 व्यवस्था के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन के मामलों में वेतन नियम के वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित कोई भी स्तर (Level) इग्नोर नहीं किया जायेगा।
- 14. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना केवल राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पर सीधे तौर पर लागू है। यह योजना किसी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले स्वायत्तशासी/निकायों/सहायता प्राप्त संस्थानों/निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों पर स्वतः ही लागू नहीं होगी। वित्तीय प्रभावों के आंकलन के पश्चात् संबंधित स्थानीय निकाय/स्वायत्तशासी संस्था/निकाय/सहायता प्राप्त संस्थान/निगम/उपक्रम के निदेशक मण्डल/बोर्ड की सहमति के उपरान्त सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग/सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही उक्त संस्थाओं हेतु उक्त योजना अंगीकार की जायेगी।
- 15. यदि संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत कोई वित्तीय अपग्रेडेशन स्थगित कर दिया जाता है और कर्मचारी के अनुपयुक्त होने अथवा विभागीय कार्यवाहियों आदि के कारण 10 वर्ष के पश्चात भी किसी स्तर में यह नहीं दिया जाता है तो इसका उस अगले वित्तीय अपग्रेडेशन पर परिणामी प्रभाव होगा जो पहले वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाने में हुई देशी की अवधि के बराबर अवधि तक स्थगित कर दिया जायेगा।
- 16. उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाने पर पदनाम, वर्गीकरण अथवा उच्च स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर भी, वित्तीय और कतिपय अन्य प्रसुविधाएं जो किसी सरकारी सेवक द्वारा आहरित वेतन से जुड़े हैं, जैसे- महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते एवं गृह निर्माण अग्रिम आदि, की अनुमन्यता रहेगी।
- 17. वित्तीय अपग्रेडेशन उपयुक्तता के आधार पर अनुमन्य होगा। वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 से स्तर-5 तक के पद सोपन के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ "उत्तम" और इसके पश्चात के स्तरों के लिए 'अति उत्तम' के आधार पर वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के समय पिछले 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ देखी जायेंगी।
- 18. अनुशासनिक/शास्ति की कार्यवाहियों के मामले में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के लाभ की अनुमन्यता साधारण पदोन्नति हेतु निर्धारित नियमों के अधीन होगा। अतः ऐसे मामले उत्तराखण्ड

४

सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किए जाएंगे।

19. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना केवल अगले उच्चतर स्तर पर वित्तीय लाभ की स्वीकृति वैयक्तिक आधार पर अनुमन्य किये जाने हेतु है और यह सरकारी सेवक की वास्तविक/कार्यात्मक पदोन्नति हेतु नहीं है।

20. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ सरकारी सेवक को विशुद्धतः वैयक्तिक रूप से दिया जाएगा और उसकी वरिष्ठता की स्थिति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। वरिष्ठ सरकारी सेवक को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय अपग्रेडेशन नहीं दिया जाएगा कि कनिष्ठ सरकारी सेवक ने संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना अथवा पूर्व में लागू ए0सी0पी0 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स में उच्चतर स्तर का वेतन प्राप्त कर लिया है।

21. यदि कोई सरकारी सेवक पदोन्नति/सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन प्राप्त करने के बाद किसी निचले पद अथवा निचले वेतनमान पर एकतरफा स्थानान्तरण की मांग करता है तो वह, नए विभाग में, उस पद पर उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत 20/30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने पर, जैसी भी स्थिति हो, केवल दूसरे और तीसरे वित्तीय उन्नयन के लिए हकदार होगा।


22. यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किये जाने के पश्चात सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा नियमित पदोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक की वह पदोन्नति लेने से सहमत नहीं हो जाय। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयवधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

23. ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद के स्तर (Level) के वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु संबंधित सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता के तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से प्रदान किया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप देय लाभ प्रतिनियुक्ति के पद के स्तर (Level) के वेतन से उच्च है तो संबंधित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

24. प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्त कार्मिकों को एम0ए0सी0पी0एस0 का लाभ उनके मूल विभाग द्वारा यथानियम अनुमन्य किया जायेगा।
25. प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर नियुक्त सरकारी सेवक को संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ लेने के लिए मूल विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे वेतन मैट्रिक्स में स्वधारित पद के स्तर में वेतन को लिए जाने अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत स्वयं को प्राप्त वेतन, इनमें से जो भी लाभकारी हो, का नया विकल्प दे सकते हैं। ऐसे प्रकरणों में एम0ए0सी0पी0एस0 मूल विभाग द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
26. एक ही विभाग में अथवा एक विभाग से दूसरे विभाग में संवर्ग परिवर्तन होने पर संवर्ग परिवर्तन की तिथि एम0ए0सी0पी0एस0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु मौलिक नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी और ऐसे पदधारक को उक्त मौलिक नियुक्ति की तिथि से 10, 20 एवं 30 वर्ष का लाभ अनुमन्य होगा।
27. एक विभाग से दूसरे विभाग के किसी पद पर संविलियन होने पर संविलियन की तिथि एम0ए0सी0पी0एस0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु मौलिक नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी और ऐसे पदधारक को उक्त मौलिक नियुक्ति की तिथि से 10, 20 एवं 30 वर्ष का लाभ अनुमन्य होगा।

उदाहरण:-

- (i) सीधी भर्ती के माध्यम से वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में नियुक्त किसी सरकारी कर्मचारी की यदि 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर भी पदोन्नति नहीं होती है तो उसे स्तर-4 में प्रथम एम0ए0सी0पी0एस0 का लाभ अनुमन्य होगा। यदि स्तर-4 में भी अगले 10 वर्षों में भी पदोन्नति नहीं होती तो उसे स्तर-5 में द्वितीय एम0ए0सी0पी0एस0 का लाभ अनुमन्य होगा। यदि स्तर-5 में भी अगले 10 वर्षों में भी पदोन्नति नहीं होती तो उसे स्तर-6 में तृतीय एम0ए0सी0पी0एस0 का लाभ अनुमन्य होगा।
- (ii) यदि वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में कोई सरकारी कर्मचारी (कनिष्ठ सहायक) 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर स्तर-5 में अपनी पहली नियमित पदोन्नति (वरिष्ठ सहायक) प्राप्त करता है और फिर वह बिना किसी पदोन्नति के अगले 10 वर्षों के लिए उसी स्तर में बना रहता है तब वह 18 वर्ष (8+10 वर्ष) की सेवा पूरी करने के बाद स्तर-6 में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत दूसरे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होगा।
- (iii) यदि, उसके बाद वह कोई पदोन्नति नहीं प्राप्त करता है तो वह स्तर-6 में अगले 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अर्थात् 28 वर्ष यथा (8+10+10) में स्तर-7 में तीसरा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करेगा।




(iv) तथापि, यदि वह स्तर-6 में अगले 5 वर्ष की सेवा के बाद अर्थात् 23 वर्ष (8+10+5 वर्ष) की सेवा पूरी करने पर तृतीय पदोन्नति अर्थात् स्तर-7 प्राप्त करता है तो यह पदोन्नति तृतीय वित्तीय उन्नयन होगी।

(v) यदि स्तर-2 के सरकारी सेवक को स्तर-2 में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत स्तर-3 में पहला वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता है और सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि उसे 5 वर्ष बाद (10+5 वर्ष), स्तर-4 में पहली नियमित पदोन्नति दी जाती तो यह उसके लिए द्वितीय वित्तीय स्तर उन्नयन होगा और संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन (सरकारी सेवक के द्वारा धारित स्तर के संदर्भ में अगले स्तर में) स्तर-5, 25 वर्ष (10+5+10) की सेवा पूरी करने पर स्वीकार किया जाएगा।

(vi) पूर्व में लागू ए0सी0पी0 व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय स्तर उन्नयन चाहे वह ए0सी0पी0 के रूप में अनुमन्य हो या पदोन्नति के रूप में, प्राप्त होने की तिथि से 10 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर ही एम0ए0सी0पी0एस0 योजना के तहत तृतीय वित्तीय स्तर उन्नयन अनुमन्य होगा।

उपर्युक्त उदाहरणों में, ऐसे उन्नयन पर इस कार्यालयज्ञाप के बिन्दु-5 में दी गयी व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा, परन्तु उसी स्तर पर नियमित पदोन्नति के समय स्तर नियत करते समय केवल कोष्ठिका की धनराशि समान न होने पर ही अगली कोष्ठिका की धनराशि अंतर के रूप में स्वीकार्य होगी।

  
(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

विषय: राज्य के कोषागार सवर्ग के सम्बन्ध में दिनांक 31 अगस्त, 2008 तक प्रभावी समयमान वेतनमान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या 1255/04(2)कोषागार संगठन/नि0को0पें0ह0/2016, दिनांक 16 अगस्त, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोषागार सवर्ग के ऐसे कार्मिकों को जिनको समयमान वेतनमान के अन्तर्गत रू0 6500-10500 उच्चकृत वेतनमान 7500-12000 (पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 4800) 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम प्रोन्नतीय वेतनान के रूप में अनुमन्य किया गया है, को द्वितीय प्रोन्नतीय वेतनमान/द्वितीय वित्तीय स्तरान्जन के रूप में देय वेतनमान/ग्रेड वेतन 15600-39100 ग्रेड पे 5400 की अनुमन्यता के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन मांगा गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोषागार सवर्ग में 80:20 के सिद्धान्त पर संवर्गीय पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पदोन्नतीय पद की प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण विषयगत प्रकरण पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 368/XXVII(3)स.वे/2005, दिनांक 23 अगस्त, 2005 के प्रस्तर 2(1) एवं (2) में तथा वित्तीय स्तरान्जन की वर्तमान व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या 872/XXVII(7)न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर 2(4) में दी गयी व्यवस्था के आलोक में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

संख्या 1255 (1)/XXVII(7)50(31)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग-6, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेंद्र सिंह चौहान)  
अपर सचिव।

122

संख्या- /XXVII(7)27(20)/2013

प्रेषक,  
भास्करानन्द,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7,

देहरादून : दिनांक 13 नवम्बर, 2014

विषय: रू0 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ए0सी0पी) विषयक शासनादेश संख्या-212/xxvii(7) 27(20)/2013, दिनांक 22 अगस्त, 2014 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-212/xxvii(7)27(20)/2013 दिनांक 22 अगस्त, 2014 द्वारा शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2013 के प्रस्तर-2 में निम्नलिखित अंश को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की गयी थी:-

“जिन विभागों में वर्तमान में धारित पद का ग्रेड वेतन एवं उस पद से पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन एक समान है, उन विभागों में वर्तमान में धारित पद के ग्रेड वेतन का अगला उच्च ग्रेड वेतन ए0सी0पी0 के लाभ हेतु अनुमन्य किया जाता है।”

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 22 अगस्त, 2014 में उल्लिखित “वर्तमान में धारित पद के ग्रेड वेतन” के स्थान पर “कार्मिक द्वारा वर्तमान में प्राप्त किया जा रहा ग्रेड वेतन” पढ़ा जाय।


भवदीय,

(भास्करानन्द)  
सचिव।

संख्या- 257 (1) /xxvii(7)27(20)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1: प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 2: प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड विधान सभा, देहरादून ।
- 3: सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 4: प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 5: रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
- 6: स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, 21 बारा-खम्बा रोड़, नई दिल्ली ।
- 7: अपर सचिव, आडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- 8: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्ये-सह- स्टेट इंटरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 9: समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 10: उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 11: विशेष कार्याधिकारी (विधि/वेतन आयोग), वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- 12: वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 13: निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 14: गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,  
  
(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)  
अपर सचिव ।

124

संख्या— /XXVII(7)27(20)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7,

देहरादून : दिनांक 22 अगस्त, 2014

विषय: रू0 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए एस्पॉर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ए0सी0पी0) में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-770/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 06 नवम्बर, 2013 एवं अनुवर्ती शासनादेश संख्या-26/xxvii(7)40(ix)/2011 टी0सी0 दिनांक 25 फरवरी, 2014, जिसमें राज्य कर्मचारियों के लिये ए0सी0पी0 की लागू पूर्व व्यवस्था के स्थान पर रू0 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए जहां पदोन्नति का पद उपलब्ध है वहां पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैण्ड वैयक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में तथा जहां पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है, वहां शासनादेश संख्या-395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक-1 में उपलब्ध तालिका के अनुसार अगला ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैण्ड वैयक्तिक रूप से अगले वेतनमान के रूप में दिनांक 01 नवम्बर, 2013 से संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया गया है।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2013 के प्रस्तर-2 में निम्नलिखित अंश को सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

“जिन विभागों में वर्तमान में धारित पद का ग्रेड वेतन एवं उस पद से पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन एक समान है, उन विभागों में वर्तमान में धारित पद के ग्रेड वेतन का अगला उच्च ग्रेड वेतन ए0सी0पी0 के लाभ हेतु अनुमन्य किया जाता है।”

3- यदि उक्तानुसार निर्धारण के फलस्वरूप कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण तदनुसार किया जायेगा।

4- उक्त शासनादेश उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

5- संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण-वितरण अधिकारी/राज्य आंतरिक लेखा-परीक्षक द्वारा यथा समय ऑडिट/परीक्षण कराकर विभागों में, तदनुसार सही वेतन-निर्धारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

(भास्करानन्द)  
सचिव।

(25)

-2-

संख्या-२१२ (१) /xxvii(7)27(20)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1: प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 2: प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड विधान सभा, देहरादून ।
- 3: सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 4: प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5: रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 6: स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, 21 बारा-खम्बा रोड़, नई दिल्ली।
- 7: अपर सचिव, आडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें-सह- स्टेट इंटरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9: समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10: उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 11: विशेष कार्याधिकारी (विधि/वेतन आयोग), वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 12: वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 13: निदेशक, एन० आई० सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 14: गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(श्रीधर बाबू अर्दाकी)  
अपर सचिव।

126

संख्या: 26 /XXVII(7)40(ix) / 2011 टी.सी.

प्रेषक,

राकेश शर्मा,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7,

देहरादून : दिनांक: 25 फरवरी, 2014

विषय- पुनरीक्षित वेतन-संरचना में रू0 4800 या उससे कम ग्रेड वेतन पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये ए0सी0पी0 की पूर्व व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 11.2013 से वैयक्तिक रूप में प्रोन्नतीय वेतनमान अथवा अगले वेतनमान (यथास्थिति) की संशोधित व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 770/XXVII(7)40(ix)/2011, दिनांक 06 नवम्बर, 2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि उक्त शासनादेश में प्रस्तर-3 के निम्नलिखित "अंश" को प्रारम्भ से ही विलोपित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

"अर्थात् वर्तमान में ए0सी0पी0 के रूप पा रहे ग्रेड वेतन के स्थान पर केवल पदोन्नति ग्रेड वेतन एवं पा रहे ग्रेड वेतन का अन्तर बढ़ा दिया जायेगा"।

2. उक्त शासनादेश उपर्युक्त सीमा तक प्रारम्भ से ही संशोधित समझा जायेगा।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण-वितरण अधिकारी/राज्य आंतरिक लेखा-परीक्षक द्वारा यथा समय ऑडिट/परीक्षण कराकर विभागों में तदनुसार सही वेतन-निर्धारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय

(राकेश शर्मा)

अपर मुख्य सचिव

27

(2)

संख्या: 26 (1)/XXVII(7)40(ix)/2011 टी.सी. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
- 6- स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
- 7- पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्ये-सह- स्टेट इंटरनल आडिटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- सलाहकार (आडिट प्रकोष्ठ), वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- विशेष कार्याधिकारी (विधि/वेतन आयोग), वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 12- निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 13- गार्ड फाइल।

(एल0एन0पन्त)

अपर सचिव, वित्त

(128)

प्रेषक,

राकेश शर्मा,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या-770/XXVII(7)40(ix)/2011

सेवा में,

- ① समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- ② समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

विषय (विआ०-सा०नि०) अनुभाग-7,

देहरादून : दिनांक 06 नवम्बर, 2013

विषय: ₹ 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए एन्सोर्ड कैस्चर प्रोग्रेशन (ए०सी०पी०) में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-872/XXVII(7) न०प्रति०/2011 दिनांक 08 मार्च 2011, संख्या-10/XXVII(7)40(ix)/2011 दिनांक 07 अप्रैल 2011, संख्या-65/XXVII(7)40(ix)/2011 दिनांक 04 अगस्त 2011, संख्या-216/XXVII(7)40(ix)/2011 दिनांक 14 अक्टूबर 2011, संख्या-313/XXVII(7)40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर 2012, संख्या 314/XXVII(7)40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर 2012 एवं संख्या-589/XXVII(7)40(ix)/2011 दिनांक 01 जुलाई 2013 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2008 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 31.08.2008 तक समय मान-वेतनमान की पूर्ववत् व्यवस्था तथा दिनांक 01.09.2008 से ए०सी०पी० की लागू की गयी है।

2- शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों के लिये ए०सी०पी० की लागू पूर्व व्यवस्था के स्थान पर ₹ 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए जहां पदोन्नति का पद उपलब्ध है, वहां पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैंड वैयक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में तथा जहां पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है, वहां शासनादेश संख्या-395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक-1 में उपलब्ध तालिका के अनुसार अगला ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैंड वैयक्तिक रूप अगले वेतनमान के रूप में दिनांक 01 नवम्बर, 2013 से संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

129

-2-

3- इस प्रकार दिनांक 01 नवम्बर, 2013 का जो कर्मचारी प्रथम या द्वितीय या तृतीय ए०सी०पी० पा रहा है, उसका वेतन निर्धारण प्रथम या द्वितीय या तृतीय पदोन्नत पद के वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन जैसा कि प्रस्तर-2 में वर्णित है पर निर्धारित कर दिया जायेगा। अर्थात् वर्तमान में ए०सी०पी० के रूप में रहे ग्रेड वेतन के स्थान पर केवल पदोन्नति ग्रेड वेतन एवं पा रहे ग्रेड वेतन का अन्तर बढ़ा दिया जायेगा। यदि उक्तानुसार निर्धारण के फलस्वरूप कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण तदनुसार किया जायेगा।

4- उपर्युक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

5- संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण-वितरण अधिकारी/राज्य आंतरिक लेखा-परिक्षक द्वारा यथा समय ऑडिट/परीक्षण कराकर विभागों में, तदनुसार सही वेतन-निर्धारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश रानी)  
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 770 (i) /xxviii(7)40(ix)/2011 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1: प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 2: प्रमुख सचिव/सचिव मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 3: प्रमुख सचिव/सचिव मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 4: प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 5: रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
  - 6: स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
  - 7: पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
  - 8: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्थ-सह-स्टेट इंटरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 9: समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
  - 10: उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
  - 11: वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चेक अनुमंग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 12: निदेशक, एन० आई० सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 13: गार्ड फाइल।

भाजा से

राकेश रानी

अपर सचिव

प्रेषक,

राकेश शर्मा

प्रमुख सचिव, वित्त,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनु-07,

देहरादून: दिनांक: 01 जुलाई 2013

विषय: राज्य कर्मचारियों के लिये एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था शासनादेश सं0-872/xxvii(7) न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च 2011 द्वारा लागू करते हुये कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु अग्रेत्तर शासनादेश सं0-10/xxvii(7) 40(ix)/2011, दिनांक 07 अप्रैल 2011, सं0-65/xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 04 अगस्त 2011 सं0-216/xxvii(7) 40(ix)/2011, दिनांक 14 अक्टूबर 2011, सं0-313/xxvii(7)40 (ix)/2011 एवं सं0-314/xxvii(7)40(ix)/2011 भी निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर अनुभव की जा रही कठिनाइयों एवं कतिपय बिन्दुओं-जिज्ञासाओं के सन्दर्भ में अपेक्षित स्पष्टीकरण-मार्गदर्शन के विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन-स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त ए0सी0पी0 के प्रसंग में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् सुस्पष्ट करते हुये तदनुसार ही ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू किये जाने की श्रुति राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) राजकीय कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की वर्तमान व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से क्रमशः 10, 18 एवं 26 वर्ष की अनवरत एवं सन्तोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोंन्वयन के लाभ कतिपय

(31)

प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये गये हैं, के स्थान पर क्रमशः 10,16 एवं 26 वर्ष की अनवरत एवं सन्तोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन के लाभ निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे और तदनुसार उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर-1(2)(1) एवं शासनादेश सं० 313/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 का प्रस्तर-2 (2) संशोधित समझा जायेगा:-

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोंन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा, निरन्तर एवं संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

किसी पद का वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन किसी समय-बिन्दु पर उच्चिकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोंन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवा-अवधि की गणना में पूर्व वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन तथा उच्चिकृत वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चिकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 16 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यदि ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू होने की तिथि 01.09.2008 के बाद सम्बन्धित कार्मिक की प्रथम प्रोन्नति, उसकी सीधी भर्ती के पद के सापेक्ष प्रथम वित्तीय स्तरोंन्नयन देय होने की तिथि के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है, तो प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 16 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

न्तु,

यह भी, कि सीधी भर्ती के किसी पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 16 वर्ष की अनवरत एवं संतोषजनक सेवा पूरी होने की तिथि तक दो पदोन्नतियाँ अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दो प्रोन्नतीय/अगला/उच्च वेतनमान अथवा एक पदोन्नति के बाद प्रोन्नति के पद के सापेक्ष प्रोन्नतीय/अगला/उच्च वेतनमान (यथा स्थिति) का लाभ प्राप्त न होने की दशा में, उसे उक्तानुसार 16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा ए0सी0पी0 लागू होने की तिथि 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन देय होगा।

(ग) द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन देय होगा।

परन्तु,

ऐसे पदधारक, जिन्हें ए0सी0पी0 लागू होने की तिथि 01.09.2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन 16 वर्ष या अधिक की सेवा-अवधि पर अनुमन्य होता है, को द्वितीय स्तरान्णयन में 10 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन देय होगा।

परन्तु,

यह भी, कि सीधी भर्ती के किसी पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 26 वर्ष की अनवरत एवं संतोषजनक सेवा पूरी होने की तिथि तक तीन पदोन्नतियों का लाभ प्राप्त न होने की दशा में, उसे उक्तानुसार 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा ए0सी0पी0 लागू होने की तिथि 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन देय होगा।

(घ) उपर्युक्त शासनादेश सं0 313/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर-2 (5) एवं सं0 314//xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर-2 (क) में ए0सी0पी0 की व्यवस्था के प्रसंग में सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत "धारित पद" का आशय स्पष्ट किया गया है, जिसके फलस्वरूप यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उक्त तिथि 30 अक्टूबर, 2012 तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च

2011 के क्रम में पूर्व की स्थिति के आधार पर ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (Re-open) नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे कार्मिक, जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के अधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को संबन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा। इस सीमा तक उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 का प्रस्तर-3 (2) संशोधित समझा जायेगा।

(3) ए0सी0पी0 की व्यवस्था में वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन रू0 2000 को "इग्नोर" किया जायेगा, जिसके फलस्वरूप वित्तीय स्तरान्णयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रू0 1900 का अगला ग्रेड वेतन रू0 2400 माना जायेगा। इस सीमा तक उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 का प्रस्तर-1(3) संशोधित समझा जायेगा।

(4)(क) ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु "नॉन फंक्शनल" वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन को "इग्नोर" किया जायेगा। अतः उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर-1(2) (ii) को विलुप्त माना जायेगा।

(ख) उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य कार्मिकों के संदर्भ में "नॉन फंक्शनल" वेतनमान/ग्रेड वेतन की व्यवस्था सामान्य रूप में सभी सेवा-संवर्ग/पदों पर लागू नहीं है, बल्कि पूर्व में उत्तराखण्ड सचिवालय और उससे समकक्षता वाले अन्य कार्यालयों में जिन कतिपय पदों (जैसे-अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव) पर यह विशिष्ट व्यवस्था लागू थी, वह भी समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में "नॉन फंक्शनल" वेतनमान/ग्रेड वेतन की विशिष्ट व्यवस्था राज्य सरकार के निर्णयानुसार केवल फार्मेसिस्ट के पद पर ही, तत्सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत शासनादेश से लागू है। अतएव यदि किसी प्रकरण में फार्मेसिस्ट पद से भिन्न किसी पदधारक को किसी भी स्तर से इस रूप में कोई भी वित्तीय लाभ त्रुटिवश प्रदान कर दिया गया हो, तो उसे यथाशीघ्र सही कराया जाना और वेतन-भत्ते के रूप में अधिक

भुगतानित धनराशि का समायोजन भी संबन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर अपेक्षित होगा।

(5)(क) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर-1(1) के अनुसार ग्रेड वेतन रू0 5400 (वेतन बैण्ड-3) एवं उससे उच्च ग्रेड वेतन/वेतन बैण्ड के लिए ए0सी0पी0 की जो व्यवस्था दिनांक 01.01.2006 से लागू की गई थी, उसे बाद में समानता के आधार पर संशोधित करते हुये उक्त शासनादेश सं0 313/xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर-2(1) के अनुसार दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी किया गया है। यद्यपि, उक्त शासनादेश 8 मार्च, 2011 में ऐसे कार्मिकों को ए0सी0पी0 की स्वीकृति हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख नहीं था, क्योंकि उनके सम्बन्ध में ए0सी0पी0 लागू किये जाने अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था को ही भविष्य में भी बनाये रखने का निर्णय उक्त शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 2011 के प्रस्तर-1(4) के अनुसार संवर्ग-नियंत्रक/प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से लिया जाना था, फिर भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उक्त तिथि 30 अक्टूबर, 2012 तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 में निहित पूर्व की किसी व्यवस्था से आच्छादित किसी प्रकरण में ए0सी0पी0 का लाभ दिनांक 01.09.2008 के पूर्व की तिथि से स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (Re-open) नहीं किया जायेगा, किन्तु ए0सी0पी0 की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी (नियुक्ति प्राधिकारी/प्रशासकीय विभाग) एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पुनरीक्षण हेतु विकल्प की तिथि (यथा- दिनांक 01.01.2006 अथवा अन्य तिथि, जो भी हो) से ही यदि ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किया गया है, तो वेतन का निर्धारण अपुनरीक्षित वेतन संरचना में पूर्व से प्राप्त अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर ए0सी0पी0 के लाभ के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में सीधे ही शासनादेश सं0 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी फिटमेण्ट तालिका के अनुसार ही किया गया हो और यदि वेतन निर्धारण हेतु इससे भिन्न प्रक्रिया अपनायी गयी हो, तो उस प्रकरण में वेतन- भत्तों के रूप में अधिक भुगतानित धनराशि का समायोजन अपेक्षित होगा। ज्ञातव्य है कि पुनरीक्षित वेतन संरचना (यथा विकल्प) लागू होने और से0 ग्रेड/ए0सी0पी0 अनुमन्य होने की एक ही तिथि होने की दशा में, उस तिथि को दो बार वेतन निर्धारण किये जाने की व्यवस्था शासन द्वारा लागू नहीं की गयी है।

(ख) ग्रेड वेतन रू0 5400 (वेतन बैण्ड-3) या उससे उच्च ग्रेड वेतन के पदधारकों के लिए ए0सी0पी0 के लाभ की अनुमन्यता हेतु प्रक्रियात्मक व्यवस्था विषयक उक्त शासनादेश सं0 314/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर-2(ख) (i) एवं (ii) निम्नानुसार संशोधित समझे जायेंगे:-

(i) पुनरीक्षित वेतन-संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (08 वर्ष/अभियंत्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 05 वर्ष/कतिपय मामलों में 06 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01.09.2008 के पूर्व प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। सेवा-अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के संदर्भ में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(ii) पुनरीक्षित वेतन-संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (14 वर्ष/अभियंत्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 12 वर्ष/कतिपय मामलों में 16 वर्ष/18 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01.09.2008 के पूर्व द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें कुल 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि उसे सीधी भर्ती के पद के सापेक्ष तीन पदोन्नतियाँ प्राप्त न हुयी हों।

3- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 (यथा संशोधित) में निहित ए0सी0पी0 की व्यवस्था को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (औ0वि0अनु0-1) से निर्गत शासनादेश सं0-2225/vii-1/60-60-उद्योग/2011 दिनांक 30.11.2011 के प्रस्तर-1(7) द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों पर भी यथावत् लागू किया गया है। अतएव उनके सम्बन्ध में

प्रश्नगत प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4- कृपया उपर्युक्तानुसार स्थिति से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी यथाशीघ्र अवगत कराते हुये विभागीय स्तर पर "टैस्ट-ऑडिट" भी यथा समय सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय


  
(प्रकाश शर्मा)  
प्रमुख सचिव वित्त

संख्या:- 589 (1)/xxvii(7)40(ix)/2011 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
- 3-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- 4-प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5-स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- 6-निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य-स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7-वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 8-संमस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9-उत्तराखण्ड सचिवालय के संमस्त अनुभाग।
- 10-इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 11-निदेशक, एन. आई. सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

  
(एल0एन0पन्त)  
अपर सचिव

137

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (वै0आ0-सा0नि0)-7  
संख्या: 347 /xxvii(7)40(9)/2012  
देहरादून: दिनांक 18 जनवरी, 2013

कार्यालय ज्ञाप

राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन(ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक आदेश संख्या-872/XXVII(7)न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर-5(1) में निम्नांकित व्यवस्था है:-

"वित्तीय स्तरानयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी के गठन किये जाने की व्यवस्था की गई है। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरानयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य का ग्रेड वेतन श्रेणी 'ख' के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।"


2- कतिपय विभागों द्वारा की गई जिज्ञासा के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन विभागों में विभागाध्यक्ष/अपर विभागाध्यक्ष के पदों पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी कार्यरत हों उनके संदर्भ में उक्त वर्णित वेतनमान एवं ग्रेड पे की बाध्यता नहीं देखी जायेगी तथा उन्हें ही समिति में अध्यक्ष एवं आवश्यकतानुसार सदस्य नामित किया जायेगा।

  
(राधा रतूड़ी)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-347(1)/xxvii(7)/50(18)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य-सह-स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(एल0एन0 मन्त)  
अपर सचिव।